

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञाप सं०-6/खा० म० बांका-05/2016-

(6)/रा०, पटना-15, दिनांक-.....

सेवा में,

अनीपचारिक
रूप से
परामर्शित

महालेखाकार, बिहार (लेखा एवं हकदारी),
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

द्वारा :- वित्त विभाग।

विषय :- मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-10.01.2017 के मद संख्या-12 में दी गई स्वीकृति के आलोक में बांका जिलान्तर्गत कटोरिया अंचल के मौजा-कधार, टोला-कोल्हासार के थाना सं०-202/90, खाता सं०-01, खेसरा सं०-484, रकबा-60 डिसमिल गैरमजरूआ मालिक जंगल साखु भूमि 3400/- रू० प्रति डिसमिल की दर से 2,04,000/- (दो लाख चार हजार) रू० सलामी तथा सलामी के 5 प्रतिशत का 25 गुणा अर्थात् 2,55,000/- (दो लाख पचपन हजार) रू० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल-4,59,000/- (चार लाख उनसठ हजार) रू० के भुगतान पर दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) के अन्तर्गत 33/11 के० भी० विद्युत शक्ति उपकेन्द्र की स्थापना हेतु साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

2. स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि दी जा रही है, उसमें उसकी उपयोगिता नहीं रहने पर भूमि स्वतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लौट जाएगी।

3. अन्य शर्तें खास महाल मैनुअल के प्रावधानों एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के तहत मान्य होंगे।

4. इस बन्दोबस्ती से प्राप्त राशि बजट शीर्ष-0029 भू-राजस्व-101-भू राजस्व कर-0001-भूमि राजस्व-75-10 कर मद में जमा होगी जिसका विपत्र कोड-आर०-0029001010001 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(प्रवीण कुमार झा),

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञाप सं०-6/खा० म० बांका-05/2016-

(6)/रा०, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-समाहर्ता, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मूल अभिलेख संख्या-02/2016-17 संलग्न कर लौटाया जा रहा है।

ह०/-

(प्रवीण कुमार झा),

सरकार के विशेष सचिव।

